भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3083

दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

पोषण अभियान

3083. श्री सी.एन. अन्नादुरई:

श्री जी. सेल्वम:

श्री नवसकनी के.:

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पोषण अभियान के उद्देश्यों और मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए यदि कोई उपाय किए गए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) पोषण संबंधी परिणामों का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग और आंकड़ों की निगरानी को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) पोषण अभियान के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भावी रूपरेखा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने पोषण अभियान के कार्यान्वयन में कमियों की पहचान की है और यदि हां, तो चिन्हित की गई उक्त कमियों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है; और

(च) उक्त योजना के अंतर्गत समय पर लाभ संप्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (च): पोषण अभियान मार्च 2018 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से बच्चों में कम वजन, ठिगनापन, नवजात शिशुओं में कम वजन और बच्चों, किशोरों और महिलाओं में एनीमिया को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

15वें वित्त आयोग के तहत, कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। मिशन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- देश में मानव पूंजी के विकास में योगदान करना;
- कुपोषण की चुनौती से निपटना;
- स्थायी स्वास्थ्य और कल्याण हेतु पोषण जागरूकता और अच्छे खान-पान की आदतों को बढ़ावा देना

मिशन पोषण 2.0 एक सार्वभौमिक स्व-चयन योजना है जिसे जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों सहित पूरे देश में लागू किया जा रहा है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जहां कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

पोषण केवल खाना खाने से नहीं होता है; इसके लिए उचित पाचन, अवशोषण और चयापचय आवश्यक होते हैं जो स्वच्छता, शिक्षा और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं। चूंकि कुपोषण के लिए भोजन, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता और शिक्षा के आयामों को शामिल करते हुए एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक होता है, इसलिए कुपोषण के मुद्दे का प्रभावी ढंग से समाधान करना महत्वपूर्ण है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 18 मंत्रालयों/विभागों के बीच क्रॉस कटिंग अभिसरण की मदद से कुपोषण की चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और पक्ष समर्थन जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, रक्ताल्पता (एनीमिया) और अल्प वजन के प्रसार को कम किया जा सके।

इस योजना के तहत बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को पिछले वर्ष संशोधित और उन्नयित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं। इस में मानदंड में गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता (एनीमिया) को नियंत्रित करने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत की पूर्ति करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन और घर ले जाया जाने वाला राशन (टीएचआर) तैयार करने के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने और उसका इलाज करने तथा इससे जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है।

इस मिशन के तहत सामुदायिक जुटाव और जागरूकता पक्ष समर्थन प्रमुख कार्यकलाप हैं। इसके माध्यम से लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए जन-आंदोलन चलाया जाता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के माह में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए आईटी प्रणाली का लाभ उठाया गया है। 1 मार्च, 2021 को एक महत्वपूर्ण आईटी गवर्नेंस टूल के रूप में 'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन शुरू किया गया था। यह सभी आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी), आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और लाभार्थियों की निर्धारित संकेतकों पर निगरानी और अवसंरचनाओं एवं सेवा प्रदायगी की ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है।

पोषण ट्रैकर हिंदी और अंग्रेजी सहित 24 भाषाओं में उपलब्ध है। इसने आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए तत्काल डेटा संग्रह की सुविधा प्रदान की है। समय पर पाठ्यक्रम सुधार और केंद्रित पहलों के लिए केंद्रीय स्तर से लेकर परियोजना स्तर तक विभिन्न स्तरों पर मासिक डैशबोर्ड और फैक्टशीट प्रदान किए जाते हैं।

पोषण ट्रैकर में लाभार्थी पंजीकरण मॉड्यूल शुरु किया गया है जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र का चयन करके लाभार्थी द्वारा स्व-पंजीकरण की सुविधा है। इसके अलावा, मौजूदा लाभार्थी इस मिशन के तहत उन्हें उपलब्ध सुविधाओं को अपने मोबाइल फ़ोन पर देख सकते हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को महीने में एक बार सभी बच्चों (0-6 वर्ष) की लम्बाई और वजन मापना अनिवार्य है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा दर्ज किए गए लम्बाई और वजन के आंकड़ों के आधार पर, डब्ल्यूएचओ मानकों के अनुसार बच्चों में ठिगनापन, दुबलापन, कम वजन की व्यापकता की नियमित पहचान के लिए पोषण ट्रैकर का लाभ उठाया जा रहा है।

मिशन के तहत पंजीकृत लाभार्थियों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

******

अनुलग्नक

"पोषण अभियान" के संबंध में 13.12.2024 को श्री सी.एन अन्नादुरई, श्री सेल्वम जी और श्री नवसकनी के. द्वारा पूछे गए लोकसभा प्रश्न संख्या 3083 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पोषण ट्रैकर से अक्टूबर 2024 तक मिशन के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों का विवरण इस प्रकार है:

लाभार्थी की श्रेणी	**लाभार्थी की संख्या**
बच्चे (0 – 6 वर्ष)	8,82,87,007
गर्भवती महिलाएं	61,28,029
स्तनपान कराने वाली माताएं	44,18,840
किशोरियां (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष)	23,47,552

******